भारतीय कपास निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

"कपास भवन" 158–185 डिस्ट्रिक्ट सेन्टर ,जवाहर नगर, श्रीगंगानगर (राज.)

दुरभाष नं. 0154–2462843, फैक्स –2461040

ई–मेल sriganganagar@cotcorp.com CIN No.:U51490MH1970GO1014733

गांठो के भंडारण हेतू प्राईवेट गोदाम किराए पर लेने हेतू निविदा–सूचना

भारतीय कपास निगम लिमिटेड, श्रीगंगानगर फसल वर्ष 2020–21 के लिए निजी गोदाम /प्राईवेट वेयर हाउस मालिकों से श्रीगंगानगर व हनुमानगढ जिले के अंतर्गत स्थित केन्द्रो जैसाकि श्रीगंगानगर, श्रीकरणपुर, पदमपुर, अनूपगढ़, सुरतगढ, श्रीविजयनगर,सादूलशहर, जैतसर, हनुमानगढ़ टाउन, हनुमानगढ़ जंक्शन,पीलीबंगा,गोलूवाला,रावतसर तथा संगरिया में गांठो (Fully Pressed Cotton Bales) के भंडारण हेतु प्रथम श्रेणी/First Class गोदाम किराए पर लेने हेतू निर्धारित प्रारूप में Two Bid सिस्टम में निविदायें आंमंत्रित करता है। निविदा फार्म नियम व शर्तें सहित शाखा कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में Rs.112/– (GST सहित) का डीडी **भारतीय कपास निगम लिमिटेड,श्रीगंगानगर** के पक्ष में देय हो देकर दिनाक 24.09.2020 को प्रातः 11:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है। नियम व शर्तो सहित निविदा फार्म निगम की वेबसाईट http://www.cotcorp.org.in तथा टेडर की सरकारी वेबसाईट http//:eprocure.gov.in से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं। वेबसाईट से डाउनलोड करने पर रूपये 112/– (GST सहित) का डी.डी. जोकि **भारतीय कपास निगम लिमिटेड,श्रीगंगानगर** के पक्ष में देय हो निविदा की टेक्नीकल बिड के साथ लगाना अनिवार्य है।

पूर्ण रूप से भरी हुई मुहरबंद निविदाये उपरोक्त पते पर दिनांक 24.09.2020 दोपहर 02.30 बजे तक स्वीकृत की जायेगी। प्राप्त निविदाऐं उसी दिन अर्थात दिनांक 24.09.2020 को दोपहर 03.00 बजे गठित समिति व उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी ।

जो गोदाम मालिक MSE के अंतर्गत आते है एवं MSME प्रधिकरण से पंजीकृत है वे वैंध पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करते है तो, वे निविदा शुल्क से मुक्त होगे। निगम किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।

सहा. महाप्रबंधक

13.09.2020

निविदादाता का नाम दिनांक व हस्ताक्षर

भारतीय कपास निगम लिमिटेड,शाखा कार्यालय : श्रीगंगानगर।

टेक्निकल बिड–I

1) केन्द्र/स्थान :.....

2) गोदाम मालिक का नाम :.....
पुरा पत्ता :.....
दूरभाष /मोबाईल नं0 :.....
ई–मेल :.....

3) गोदाम का नाम :.....
पुरा पत्ता :.....
दूरभाष /मोबाईल नं0 :.....

4) क्या गोदाम MSE प्रमाण–पत्र के रूप में रजिस्टर है हॉ/नही
(यदि हो तो स्वंय सत्यापित फोटो प्रति)

5) यदि MSE SC/ST की श्रेणी के तहत है हॉ/नही
(यदि हो तो स्वंय सत्यापित फोटो प्रति)

6) गोदाम स्टार्टअप श्रेणी के तहत है। हॉ/नही
(यदि हो तो स्वंय सत्यापित फोटो प्रति)

7) क्या व्यक्ति अथवा भागीदारी /लीज अथवा कंपनी है :.....

8) पैन नं0 :.....
(स्वंय सत्यापित फोटो प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें)

9) जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन नं0 Applicable / Not Applicable
(यदि हो तो स्वंय सत्यापित फोटो प्रति) :.....

	साईज	गांठो में (वर्ग फुट मे)
10) गोदाम की क्षमता : (न्यूनतम 3000 गांठे प्रति गोदाम)	_____	_____

11) क्या निजी गोदाम मुख्य मार्ग पर है
यदि नही तो मैन रोड से दूरी दर्शायी जाये :.....

12) नजदीकी केन्द्र से दुरी :.....

13) क्या पहूँच मार्ग पक्का/सीमेन्टेड अथवा :.....
अन्य कोई है।

14) अग्निशमन व्यवस्थाऍ हाईड्रॉटस ––––––––––––––––
फायर इंस्टिन्यूसर

5 किलो ––––––––––––––––

निविदादाता का नाम दिनांक व हस्ताक्षर

10 किलो ——————————

रेतिली बाल्टियॉ ——————————

15) पानी आपूर्ति के स्त्रोत कुऑ/नलकूप ——————————

16) पानी की टंकी अन्डरग्रांउडः ओवरहैडः क्षमता लीटर में

....

17) गोदाम की स्थिती : Within Municipal Area Yes/No

: Out of Municipal Area Yes/No

18) गोदाम का फर्श : कच्चा/पक्का

19) गोदाम की छत : सीमेंटेड/सीमेटेंड शीड/टीन शीट

20) फायर ब्रिगेड कार्यालय से दुरी :

21) Installation of CCTV Cameras in Godowns : Available / Not Available (Please Tick (✓))
If available, specify the qty and its exact location
: No……...Location……...……..

No…….Location……...

*** If CCTV cameras are not available at the time of opening of Tender OR at the time of survey, owner of Private Godown will have to ensure in the form of Acceptance Letter (CCI Format) that requirement along-with other discrepancies that are observed at the time of survey should be completed at owner's expenses to fulfil CCI terms. Only after completion of same, Agreement will be executed b/w Private Godown Party & CCI.**

22) Bank Detail: - : Name of the Bank _____
: Account No. _____
: IFSC Code _____
: Branch _____

DECLARATION

I, hereby declare that the above mentioned godowns is free from any kind of bank liability/bank default. All the above are true to the best of my knowledge.

स्थानः..... .....

दिनांकः..... **निविदादाता/गोदाम मालिक का नाम तथा हस्ताक्षर**

भारतीय कपास निगम लिमिटेड शाखा कार्यालयः श्रीगंगानगर।

नियम एवं शर्ते

1. टेंडर निर्धारित प्रोफोर्मा में पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए एवं टेंडर के सभी पेज पर निविदाकर्ता के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए अन्यथा टेंडर स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि टेंडर के टेक्निकल बिड के साथ निर्धारित शर्ते हस्ताक्षर सहित की हुई हो तो यह माना जायेगा की शर्ते टेंडरर द्वारा पढ ली गयी है वे टेडरर को स्वीकार है तथा रू 112/– (GST सहित) का डी.डी. जो **"भारतीय कपास निगम लिमिटेड ,श्रीगंगानगर" के नाम पर देय हो** भी डालना है। पूरी तरह भरे हुये एवं विधिवत हस्ताक्षरित निविदा फार्म मुहरबंद लिफाफे में शाखा प्रबंधक,भाकनि,श्रीगंगानगर के नाम से प्रेषित करें। निविदा फार्म निर्धारित प्रपत्र मे ही भरे।

2. निविदा फार्म भारतीय कपास निगम लिमिटेड की वेबसाईट http://www.cotcorp.org.in तथा टेडर की सरकारी वेबसाईट http//:eprocure.gov.in से भी डाउनलोड अथवा हमारे कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में रू 112/– (GST सहित) का डी.डी. जो **"भारतीय कपास निगम लिमिटेड ,श्रीगंगानगर" के नाम पर देय हो** देकर प्राप्त किये जा सकते है। निविदा फार्म दिनांक 24.09.2020 प्रातः 11.00 बजे तक वितरित किये जाऐगे। पुर्ण रूप से भरी हुई निविदाएं दिनांक 24.09.2020 दोपहर 02.30 बजे तक स्वीकार किये जाऐगे। प्राप्त निविदाएं उसी दिन अर्थात दिनांक 24.09.2020 को दोपहर 03.00 बजे उपस्थित पार्टी प्रतिनिधी व गठित समिति के समक्ष खोली जायेगी। निर्धारित समयोपरान्त व अपूर्ण भरी एवं शर्तयुक्त निविदा स्वीकृत नही की जायेगी।

3. निविदाकर्ताओ को निम्नानुसार निविदा प्रपत्र में भरनी होगीः–
   लिफाफा 'अ' :– लिफाफा 'अ' पर तकनीकी बीड लिखकर उसमें तकनीकी बीड रखे।
   लिफाफा 'ब' :– लिफाफा 'ब' पर वित्तीय बीड लिखकर उसमें वित्तीय बीड रखे।
   लिफाफा 'स' :– लिफाफा 'स' पर केन्द्रो पर प्राईवेट गोदाम प्रदाता हेतू निविदा लिखकर उसमे 'अ' और 'ब' लिफाफा रखे।
4. गोदाम में आवागमन हेतु Proper approach road का होना आवश्यक है।
5. निविदाकर्ता को निगम न्यूनतम कार्य देने हेतू बाध्य नही है कार्य आवंटन केवल आवश्यकता के आधार पर दिया जाएगा।
6. गोदाम के फर्श पक्के होने चाहिए। गोदाम के फर्श की उॅचाई सडक के लेवल से उंची होनी आवश्यक है ताकि उसमें वर्षा का पानी ना जाने पाये तथा पानी की निकासी की प्रर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए तथा छतों से पानी का रिसाव नहीं होना चाहिए। अगर रिसाव होता है तो मालिक द्वारा अपने खर्चे पर तुरन्त मरम्मत करवाना आवश्यक होगा।
7. गोदाम सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त तथा गांठे भंडारण हेतू Storage Worthy होना चाहिए।
8. पार्टी द्वारा अपना रेट प्रति गांठ/प्रति माह की दर से दिया जाए जो सभी करों सहित (Excluding GST) होनी चाहिए।गोदाम की दरें कपास सीजन 2020–21 के अनुबंध से स्टॉक रहने तक ही मान्य होगी।
9. यदि निविदाकर्ता के पास GST रजिस्टेशन नं. उपलब्ध है तो उसकी स्वंय सत्यापित फोटो प्रति टेक्निकल बिड के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
10. गोदामों का अनुबंध निगम द्वारा निर्धारित प्रोफार्मो के अनुसार किया जायेगा। जिस पार्टी का गोदाम निगम द्वारा अनुबंधित किया जायेगा उस पार्टी द्वारा 500/–रूपये के नॉन ज्युडीशियल स्टेम्प पेपर पर निर्धारित अनुबंध हस्ताक्षर कर देना होगा।

निविदादाता का नाम दिनांक व हस्ताक्षर

11. गोदाम अनुबंध के पश्चात निरिक्षण के लिए शाखा कार्यालय तथा निगम के किसी भी अधिकारी द्वारा समय–समय पर दौरा किया जाऐगा। उक्त समय में यदि किसी प्रकार की कोई कमी पाई जाती है तो गोदाम मालिक को तदानुसार आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करनी होगी।

12. गोदाम मालिको को किराये का भुगतान बिल प्राप्ति के 10 दिनों के अन्दर किया जायेगा जो कि मासिक आधार पर प्रस्तुत किया जायेगा। किराये का भुगतान करते समय लागू आयकर व अन्य कोई भी कर जो सरकार द्वारा लागू होता है, वह निगम द्वारा नियमानुसार कटौती की जायेगी। पार्टी द्वारा अपनी बैक डिटेल दी जाएगी जिसमें किराया का भुगतान RTGS/NEFT द्वारा किया जाएगा।

13. गोदाम केवल हमारे अधिकृत अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण के बाद ही फाईनल किये जायेंगे, जिसकी सूचना पत्र/दूरभाष द्वारा गोदाम मालिकों को दी जायेगी। गोदामों का चयन रूई गांठो के भंडारण हेतु उपयुक्ता को देख कर किया जायेगा।

14. गोदाम में भंडारित गांठे,FP & Miscellaneous Stock का बीमा निगम द्वारा ही लिया जायेगा।

15. गोदाम का किराया गांठो के भंडारण से ही शुरू होगा तथा वास्तविक दिनों (Pro-rata-basis)के आधार पर दिया जायेगा।

16. गोदाम मालिक की कोई भी अतिरिक्त शर्ते निगम को स्वीकार नही होगी।

17. गोदाम में भंडारित गांठे सीसीआई प्रतिनिधियों के अधिकार में होगी तथा सी.सी.आई का ताला रहेगा व चाबी निगम के कर्मचारी के पास रहेगी। यदि गोदाम मैनेजमेंट बेसिस पर CWC/RSWC या अन्य कोई सरकारी संस्था को मैनेजमेंट बेसिस पर नियुक्ति किया जाता है तो ताला व चाबी उनकी रहेगी।

18. प्रस्तावित गोदाम में हमारे निगम के कर्मचारी/सिक्योरिटी गार्ड के लिए आवश्यकता अनुसार उचित रूप से बैठने की व्यवस्था होना आवश्यक है।

19. गोदाम में किसी प्रकार के विधुत कनेक्शन नहीं होने चाहिए। ट्रास्फोरमर तथा किसी प्रकार की बिजली के प्रतिष्ठान गोदाम प्रागण के बाहर होना चाहिए। उंचाई में स्थित सभी खिडकियों/Ventilation Points में जाली/Fine Mesh का होना अनिवार्य है। यदि खिडकिया कम उंचाई पर है तो उन्हे ऐलूमिनियम/टीन शीट या इंटो से अंदर की तरफ से बंद होना चाहिए।

20. गांठें भंडारण के समय गोदाम के अंदर किसी भी प्रकार के ज्वलनशील प्रदार्थ नही होने चाहिए।

21. गांठो के आवागमन व रखरखाव, अग्निदुर्धटना या किसी भी प्रकार की अभुतपूर्ण घटनाऐ से गोदाम में अगर कोई क्षति होती है, तो निगम की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

22. सुरक्षा की द्ष्टि से गोदाम के चारों तरफ पक्की दीवार (Boundary Wall) होनी चाहिए।

23. गांठे भंडारण के समय गोदाम के प्रागण पुरी तरह से साफ–सुथरा होना चाहिए। गोदाम मे प्रतिदिन साफ–सफाई कि व्यवस्था गोदाम मालिक की होगी। गोदाम की न्यूनतम क्षमता लगभग 3000 गांठ प्रति गोदाम होनी अनिवार्य है।

24. Dunnage (Polythin sheet)की व्यवस्था गोदाम मालिक को उपलब्ध करानी होगी जिसके लिए कोई अतिरिक्त राशि देय नही होगी।

25. गोदाम के प्रांगण में CCTV कैमरा होना अनिवार्य है तथा उसका Back up 30 दिन का होना चाहिऐ।

26. गोदाम के अंदर गांठे भंडारित करते समय स्टेकिंग प्लान हमारे निगम के प्रतिनिधी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

27. गोदाम में निम्न अग्नि शमन व्यवस्था आवश्यक हैः–

- प्रत्येक दरवाजे पर कम से कम 2 फायर एक्सटिंगविशर होना चाहिए।
- प्रत्येक दरवाजे पर पानी से भरे ड्रम–2 नग।(बाल्टी के साथ)
- रेत से भरी बाल्टी – 4 नग ।
- गोदाम में भंडारित गांठो की संख्या के आधार पर अग्निशमन की प्रर्याप्त व्यवस्था को बढाया जा सकता है।

28. गोदाम की दरें फायनल होने के बाद दरों में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा।

29. गोदाम में हाईडेन्ट व कुआ/बोरवेल को अतिरिक्त सूविधा मानी जाएगी,तथा इन सूविधाओ वाले गोदाम को प्राथमिक्ता दी जाएगी।

30. किसी भी निविदा को पूर्णतः या आंशतः अथवा सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकारी निगम अपने पास सुरक्षित रखता है एवं परिस्थितियों को दखते हुए निगम उपरोक्त नियम एवं शर्तो पर पुनः विचार कर सकता है।

31. यदि निविदाकर्ता निविदा के किसी भी शर्तो या निविदा की प्रक्रिया के बारें में भा.क.नि. से जानकारी चाहे तो मांग सकता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई निविदा अस्वीकृत की जाती है या निविदा दस्तावेज संबंधित निविदाकर्ताओ को नही दिया जाता है तो निविदाकर्ता निविदा अस्वीकृत करने संबंधी कारण का मांग कर सकते है।

32. गोदाम को लीज रेंट/लेंड रेवन्यू/प्रॉपर्टी टेक्स या किसी प्रकार की देयता या कोई ऋण इत्यादि शेष है एवं अन्य नॉन एग्रीकल्चर टेक्स तथा जो भी अन्य टैक्स हो, टेडर के समय शेष नही होना चाहिए। इसके अतिरिक्त विधि मामला इत्यादि गोदाम पर लंबित है,तो निगम उस मामले या देयता के लिए किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।

33. गोदाम मालिक को राजस्थान सरकार के वेयर हाउस नियम कानून का पालन करना होगा। यदि उल्लंधन करते है तो निगम की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

34. गोदाम में किसी अन्य वस्तु का भंडारण निगम की पूर्व अनुमति के बिना नही किया जायेगा।

35. निगम के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि किसी भी समय बिना कोई पूर्व नोटिस के गोदाम संपूर्ण रूप से खाली किया जा सकता है एवं अनुबंध को रद्व किया जा सकता है।

36. मध्यस्थताः इस संविदा के संबंधित कोई विवाद उठता है, तो वह विवाद मध्यस्था के लिये किसी मध्यस्था (जो निगम का कोई कर्मचारी नहीं होगा) को सौंपा जायेगा। मध्यस्था की नियुक्ति संबंधित शाखा प्रबंधक करेगा और मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता को मध्यस्थता एवं समाधान अधिनियम 1996 तथा उसके बाद किसी सांविधित पुनः अधिनियम तथा संशोधन के प्रावधान के अनुसार नियंत्रित और आयोजित किया जायेगा।

37. इस संविदा के बाहर अथवा इससे संबंधित किसी प्रकार का विवाद उठता है तो वह माना जायेगा कि वाद कारण श्रीगंगानगर के न्यायिक क्षेत्राधिकारी में उठाया गया है।

मैने नियम व शर्तो भली भंती पढ ली है, जो मुझे मान्य है।

स्थानः..... .....

दिनांकः..... **निविदादाता/गोदाम मालिक का नाम तथा हस्ताक्षर**

On Party's Letter Head

फाईनेशियल बिड–II

Tender form for hiring of private Godown to store Cotton FP bales

Sr. No.	Particular	Rate Per Bale Per Month (In Rs.)
1.	Fully Pressed Cotton Bales	

Note: Above rates are including all the taxes excluding GST.

I/we hereby undertake to abide by all the term and conditions of this tender. I am ready to give the godowns mentioned in technical Bid-1 at the above rates to the corporation for cotton season 2020-21 (From the date of agreement to till the stock lasts). As provided in the terms, I shall sign the written agreement with the Corporation.

Date :

Name & Signature of the Authorized Signatory

Place: